न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली 2025/330

मु0 न0 105/2025 तारीखरजूः– 06.11.2025

उनवानः– रामलाल बनाम महेश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
6.11.2025	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायल को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए **अप्रार्थीगण को आगामी पेशी** तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 755/0.24, 756/0.23 कुल किता 2 कुल रकवा 0.47 है0 ग्राम मूडिया तहसील बालघाट में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 12.12.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अमन चौधरी) उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
12/12/25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी....कलेक्टर मीटिंग में पधारे है। पत्रावली गतानुसार दिनांक....22/1/26 को पेश हो।
22.1.26	पत्रावली पेश हुई व प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एड. ने वकालातनामा पेश किया व प्रतिवादी नं 3 की ओर श्री हेमराज गुर्जर एड ने वकालातनामा पेश किया। [illegible] को उपस्थित होने के लिए [illegible] है अतः पत्रावली दिनांक 27.1.26 को पेश हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
27.1.26	[illegible] आदेश [illegible] अधिकारी ..... [illegible] मिति में पत्रावली [illegible] आज्ञानुसार दिनांक 28.1.26 [illegible] पेश हो।
28.1.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता कोई उप. नहीं। बार-बार आवाजें दिलाई गई। इसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली